भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India

सत्यमेव जयते

भादूविप्रा
TRAI

F. No. A-26/(39)/2025-HR (E-17742) **Dated: 03 December 2025**

Vacancy Circular No. C-07/2025-26

Advertisement for Engagement of Consultant(s) on Contract Basis in TRAI Headquarters, New Delhi.

Telecom Regulatory Authority of India (TRAI), New Delhi is a statutory body set up under an Act of Parliament viz., TRAI Act, 1997. TRAI has been established to regulate the Telecommunications Services and to protect the interest of service providers and consumers of the telecom sector, to promote and ensure orderly growth of the telecom sector and for matters connected therewith or incidental thereto. The functions relating to regulation of Broadcasting and Cable Services Sectors have also been entrusted to TRAI from 2004.

2. Applications are invited from eligible Indian Citizens for engagement as Individual Consultant for the following position on contract basis:

(A) CONSULTANT (Artificial Intelligence) in NSL-I Division

Post Code	Particulars	Details
1	Name of the position	**Consultant (Artificial Intelligence)**
	Number# of consultants required	01 (One)
	Remuneration	Rs 24 Lakh to Rs 30 Lakh per annum (based on the experience)
	Time frame for which the Consultant is to be hired	Initial term of engagement shall be one year, which shall be extendable based on individual performance and future requirement of TRAI.
	Age limit	Not more than **45 years** of age as on the date of issue of this vacancy circular
	Essential Educational Qualification	B.Tech./B.E./ MCA/ MSc in Computers/ Information Technology or equivalent.
	Desirable Educational Qualification	M.Tech. in Computers / Information Technology or equivalent.

Badani

		<u>Certifications</u>: Certification in AI/ML/DL/ Data Science, such as Certified Data Scientist or Certified AI Engineer.
	Post Qualification Experience	**<u>Essential:</u>** Eight (8)+ years in Telecom/ IT field with minimum three (03) years' experience in AI/ML/DL (Deep learning) domain, technology strategy roles. **<u>Desirable</u>: Key Skills & Competencies** i. Strong understanding of AI/ML/DL, GenAI, analytics, and modern digital platforms. ii. Hands on Experience on using tools like Power BI, Tableau, Qlik, Looker, etc. iii. Knowledge of process mining, workflow automation, and enterprise application modernization. iv. Programming Skills: Proficiency in programming languages such as Python, R, SQL, Java, Julia, SAS. v. AI/ML Frameworks: Experience with AI/ML models/ frameworks such as TensorFlow, PySpark, Scikit-Learn, Hugging Face, RegTech Tools vi. Regulatory Knowledge: Strong understanding of regulatory requirements and frameworks, such as EU AI Act, DPDP (Digital Personal Data Protection) Act, IT Act etc. vii. Domain Expertise: Domain expertise in a specific industry, such as telecom and Broadcasting. viii. Good writing and verbal communication skills.
	Job Profile & Responsibilities	(a) Monitor and analyse telecom-specific regulatory updates and assess impact of AI on Telcom and Broadcasting Industry. (b) Working with legal and policy frameworks of India and other countries such as the European Union Artificial Intelligence Act (EU AI Act), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Framework, Personal Data Protection Commission (PDPC) Guidelines, United States National Institute of Standards and Technology (US NIST) Standards, NITI Aayog Policy Papers, MeitY Guidelines, Competition Commission of India Reports (CCI Reports) etc. (c) Study policy initiatives taken or being taken by different countries/ organisations in respect of AL/ ML/ DL. (d) Study/explore use cases, applications of AI and

		Regulatory Sandbox for Telecom sector. (e) Formulate policy documents on the subject and AI driven Regulations. (f) Use of AI in TRAI and any other related work. (g) AI & Automation: Build and implement AI/ML use cases, including data analytics, predictive analytics, NLP, AI-readiness, intelligent workflows, drive adoption of GenAI, Agentic AI for internal productivity, leveraging AI in process automation, knowledge management. (h) Evaluate and deploy AI Ops, data intelligence platforms, adoption of RegTech framework and decision automation frameworks.

#Number of vacancies is tentative. TRAI will prepare a Reserve Panel for the vacancies arising in near future.

(B) CONSULTANT (Data Privacy & Cyber Security) in IT Division

Post Code	Particulars	Details
2	Name of the position	**Consultant (Data Privacy & Cyber Security)**
	Number# of consultants required	01 (One)
	Remuneration	Rs 24 Lakh to Rs 30 Lakh per annum (based on the experience)
	Time frame for which the Consultant is to be hired	Initial term of engagement shall be one year, which shall be extendable based on individual performance and future requirement of TRAI.
	Age limit	Not more than **45 years** of age as on the date of issue of this vacancy circular
	Essential Educational Qualification	B.Tech./B.E. in Electronics/Telecommunication, Electrical and Electronics, Information Technology, Computers, MCA, MSC or equivalent.
	Desirable Educational Qualification	M.Tech. in Electronics/Telecommunication, Computers, Information Technology. Relevant certifications such as CompTIA Security+, Certified Ethical Hacker (CEH) and CISSP (Certified Information Systems Security Professional) or CISM (Certified Information Security Manager) or CISA (Certified Information Systems Auditor)

	Post Qualification Experience	**Essential:** Eight (8)+ years in IT field and at least five (05) years' experience in security, with focus on threat analysis, incident response and security architecture. **Desirable:** (a) Programming Skills: Proficiency in Programming language like Python, SQL, Java etc. (b) Deep knowledge of IT infrastructure, cloud security, virtualization and security operations. Familiarity with security orchestration, automation, and response (SOAR) tools. (c) Experience in configuring firewall, Intrusion protection Systems, Intrusion Detection System and VPNs. (d) Experience in Identifying code vulnerabilities, penetration testing, security assessment, risk analysis, EDR, SIEM Tools and crisis management skills, zero trust, data privacy. (e) Well conversant with Digital Personal Data Protection (DPDP) act and General Data Protection Rules. (f) Analyse attacks, recover data, trace the origin and writing reports explaining the events of cyber-attack. (g) Proven ability to develop strategic plans and lead cross-functional teams (h) Deep understanding of ISO-2700, ITIL and other Governance models (i) Having exposure to CTI frameworks like MISP, OpenCTI, and MITRE (j) Having exposure to CTI Lifecycle and exposure to STIX/TAXI protocols
	Job Profile & Responsibilities	a. Develop and implement an enterprise-wide information security strategy. b. Assist CISO and provide strategic direction for cybersecurity, data privacy, risk management, and disaster recovery in the event of any security breaches. c. Establish and enforce cybersecurity policies, standards, and procedures. d. Ensure compliance with regulatory requirements (e.g., IT Act). e. Lead risk assessments and oversee remediation of identified risks.

Badam

		f. Oversee day-to-day monitoring and defence against security threats across all portals/websites/applications etc. g. Manage incident response planning, execution, and post-incident reviews. h. Direct security audits, vulnerability testing, and penetration testing efforts. i. Report regularly to the Authority on cybersecurity posture, incidents, emerging threats and industry trends (including telecom domain cyber security derivatives). j. Work with external agencies, regulators, industry peers to benchmark security practices. Analyse various advisories received from other departments (CERT-IN, NCIIPC, DoT, etc.), on threat/attack and implement solution/create policy. k. Evaluate and implement advanced security tools and practices like Zero Trust security approach. l. Stay abreast of emerging threats and industry trends to proactively strengthen security architecture. And assist the Authority in developing the material related to security topics like talking points, presentation etc. for various events/meets. m. Manage end-point detection and response (EDR)/XDR tools to prevent advanced threats. n. Build and maintain ISO27001 Compliant ISMS including documentation, audits and continuous improvement. o. Maintain organizational IT policies, SOPs and governance framework. p. Carryout following SOC activities: *i. Focus on protecting internal networks from intrusions. Configure firewalls, intrusion detection/prevention systems (IDS/IPS), and VPNs.* *ii. Conduct security assessments, risk analysis and root cause analysis of security incidents.* *iii. Assist in developing secure software applications by identifying code vulnerabilities. Includes code review, penetration testing, and secure software development (DevSecOps).* *iv. Securing cloud-based infrastructure (NIC Cloud, MEITY empanelled cloud), cloud configuration, access management, and compliance.* *v. Analyse attacks, recover data, and trace the origin. Include digital forensics, malware analysis, and legal evidence preparation.*

		vi. *Make recommendations regarding software and hardware that can strengthen information storage and security records.* vii. *Stay up to date on the newest viruses and malware being used for cyber-attack.* viii. *Aid in the development and implementation of best practices for data protection and reduce the risk of data theft.* ix. *Assess capacity gap and assist with the creation, maintenance and delivery of cyber security awareness training for existing team.* x. *Write reports outlining the finding of diagnostic tests and explaining the events of cyber-attacks when they occur.* xi. *Prepare monthly information digest on latest developments in cybersecurity realm, incidents, threats, emerging industry trends, etc.* xii. *Maintain and review security information and event management (SIEM) system logs for early threat detection.* xiii. *Cyber threat intelligence and intelligence-sharing*

#Number of vacancies is tentative. TRAI will prepare a Reserve Panel for the vacancies arising in near future.

4. The services of consultant will be governed by General Terms and Conditions of engagement of consultant and is enclosed as **Annexure-'A'.**

5. Eligible candidates desirous to be considered for the position of **Consultant (Artificial Intelligence) and Consultant (Data Privacy & Cyber Security)** in NSL-I / IT Division(s) of TRAI HQ may send their application through online mode only on **URL: https://vacancies.trai.gov.in**. The applications received by other modes such as Postal / E-Mail etc shall not be considered. **The last date for receipt of applications through online mode is 24.12.2025.** All Eligible candidates are requested to upload self-attested copies of following documents (**which must be clear and legible**) with their online application:

(a) **Document showing the date of birth** [Secondary school certificate or 10th class Mark Sheet (showing date of birth), Birth Certificate. For applicants whose Secondary School Certificate does not include/mention their date of birth, another valid government-issued document must be uploaded to verify age.

(b) **Educational qualification(s)** [From 10th class onwards. Degree certificates—whether Provisional or Final—must be uploaded along with mark sheets of all semesters.]

(c) **Post qualification experience/employment** [Applicants must upload proper Experience Certificates issued by their employer (previous and present) on the

company's letterhead, clearly mentioning the dates of appointment and relieving or continuity including the works undertaken during such employment. The experience shown must match the period after earning the required/Essential qualification]

(d) Any other relevant documents.

6. Incomplete applications or applications received without supporting documents as mentioned in para 5 (a) to (d) above shall not be considered.

7. TRAI reserves the right to cancel the process of selection/appointment of **Consultant (Artificial Intelligence) and Consultant (Data Privacy & Cyber Security)** against this advertisement at any time without assigning any reason.

(D.S. Jadaun)
Senior Research Officer (HR)
email: sro-hr@trai.gov.in

<u>Internal circulation for information: -</u>

1. OSD, O/o Chairperson, TRAI
2. Sr. PPS /PPS to Member, TRAI
3. Sr. PPS to Secretary, TRAI
4. All Principal Advisors/Advisors [HQ], TRAI.
5. JA (IT) - with a request to upload the same in the TRAI website.
6. National Career Services (NCS) Portal
7. Notice Board.

Annexure-A

Terms and Condition of Engagement (Hiring) of Consultant (Artificial Intelligence) and Consultant (Data Privacy & Cyber Security) on Contract Basis in Telecom Regulatory Authority of India (TRAI)

1. Duration of contract and Extension thereof:

The Consultants will be hired for an initial period of **one year**. The Consultants shall be eligible for an extension on annual basis subject to requirement and suitability for TRAI up to a maximum period of engagement of **four years**.

2. Contractual Terms and Conditions:

2.1. Legal Status:

The person engaged as Consultant under these guidelines shall not be regarded, for any purpose, as being staff member or an official of TRAI and shall be governed by the terms and conditions contained in these guidelines and the agreement entered into between TRAI and the Consultant. As such, nothing within or relating to the contract shall establish the relationship of employer and employee between TRAI and the Consultant. During the contract period or thereafter, the Consultant shall not claim to be an employee of TRAI. The Consultant shall mandatorily give an undertaking in this regard, as per **Annexure-I**, while entering into contract with TRAI.

2.2. Standards of Conduct:

The Consultant shall neither seek nor accept instructions from any Authority external to TRAI in connection with the performance of her/his obligations under the contract. The Consultant shall not take any action in respect of her/ his performance or otherwise related to its obligations under the contract that may adversely affect the interests of TRAI. The Consultant shall fulfil her/ his obligations with full regard to the interests of TRAI. The Consultant shall comply with all laws, ordinances, rules, and regulations bearing upon the performance of obligations under the contract. In the performance of the obligations under the contract, the Consultant shall comply with the expected standards of conduct. Failure to comply with the same shall be ground for the termination of the contract.

2.3. Assignment of Duties:

The Consultant shall be deployed for specific projects identified by the

functional wings. The Competent Authority reserves the right to assign any additional duty also as and when required. No extra/ additional allowance shall be admissible in case of such additional assignment.

2.4. Termination:

2.4.1. TRAI reserves the right to terminate the contract by giving one month's notice, in writing, to the Consultant, without assigning any reason.

2.4.2. However, TRAI may also terminate the contract at any time, without prior notice and without assigning any reason, if in its opinion the Consultant is no longer required or has failed to discharge satisfactorily her/ his duties or obligations under the contract or has committed the breach of the contract. In case the notice given by TRAI for termination of contract is less than the requisite notice period or contract is terminated by TRAI without prior notice, the monthly remuneration for the period short of requisite notice period (calculated on pro rata basis) or one month's remuneration, shall be payable by TRAI.

2.4.3. The Consultant can also seek termination of the contract upon giving one month's written notice to TRAI. If the Consultant seek termination of the contract for the period short of one month's written notice to TRAI, she/ he shall require to pay the monthly remuneration for the period short of requisite notice period (calculated on pro rata basis).

2.5. Prohibition of Sexual Exploitation and Abuse:

In the performance of the contract, the Consultants shall comply with the provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. The Consultant acknowledges and agrees that any breach of the provisions thereof shall constitute a breach of an essential term of the contract and, in addition to any other legal right or remedies available to any person, shall be a ground for termination of the contract. If required, further appropriate legal action may also be recommended.

2.6. Medical Certificate:

TRAI may require the Consultant to submit a good health certificate from a registered Physician at the time of entering into the contract.

2.7. Basic Support Facility:

TRAI may provide basic support facilities such as office space, furniture, stationery, computer, laptop, calculator, access to Internet, etc. as may be required by the Consultant for proper and smooth discharge of her/ his duties.

Badam

Such equipment and facilities provided to the Consultant shall be returned by the Consultant at the time of termination of the contract or when no longer needed by her/ him.

2.8. Confidentiality of Documents & Information:

The Consultants shall comply with the provisions of the Indian Official Secrets Act, 1923. She/ he shall not use the name, emblem, or official seal of TRAI for any commercial purpose other than discharging assigned duties. The Consultant shall sign an agreement of confidentiality, as per **Annexure-I**, while entering into contract with TRAI.

2.9. Intellectual Property Rights:

All intellectual property (including but not limited to copyrights, design rights, know-how and trademarks) contained in the information and documents provided to the Consultant by TRAI shall remain the sole and exclusive property of TRAI. TRAI shall also own all intellectual property rights with regard to processes, ideas, technical/ consultation papers/ reports, documents or any other material which the Consultant has developed for TRAI under the contract, and which bears a direct relation to or are produced or prepared or collected in consequence of, or during the course of, the performance of the duties assigned to the Consultant. The Consultant shall have no rights to such intellectual property whatsoever and shall not publish or make available such information, documents, or any other material in public domain or to any third party, without prior approval of TRAI.

2.10. Settlement of Disputes:

TRAI and the Consultant shall make best efforts to amicably settle any dispute, controversy or claim arising out of the contract or the breach, termination, or invalidity thereof.

2.11. Arbitration:

Any dispute, controversy or claim between the parties arising out of the contract, or the breach, termination, or invalidity thereof, unless settled amicably, as provided above, shall be referred by either of the parties to the Chairperson, TRAI for arbitration. The Chairperson, TRAI may appoint an arbitrator for the settlement of such dispute/ controversy.

2.12. Conflict of Interest:

The Consultants are expected to follow all the applicable rules and regulations of TRAI/ Government of India which are in force. He/ she is also expected to display utmost honesty, secrecy of office, and sincerity while discharging her/ his duties. In case the services of the Consultants are not found to be

satisfactory or found in conflict with the interests of TRAI, her/ his services will be liable to be terminated, without assigning any reason.

2.13. Residuary Matters:

In regard to matters not specifically covered by or under these guidelines, the terms and conditions given in the Manual for Procurement of Consultancy and Other Services 2017 as well as GFR 2017 issued by M/o Finance, Department of Expenditure shall be applicable.

3. Payment of Remuneration:

3.1 The monthly remuneration (all inclusive) shall be paid to the Consultant and no other allowances, such as Transport Allowance, Dearness Allowance and House Rent Allowance, shall be admissible.

3.2 The payment of consolidated remuneration will be released by TRAI, after deduction of applicable taxes, within one week of completion of the month, based on the attendance verified by the concerned Division. The Consultant/ shall invariably mark attendance on arrival in the office and at the time of leaving the office.

4. **Travelling Allowance**: The Consultants may be required to undertake domestic tours for official purposes, subject to the approval of the competent authority. Their Travelling Allowance entitlement shall be subject to upper limit of entitlement as admissible to Senior Research officer (SRO) in TRAI.

5. Leave:

5.1. The Consultants shall be eligible for paid leave of absence @ 1.5 day for each completed month of service under the contract, besides the Gazetted holidays.

5.2. The paid leaves accumulated during the duration of the contract can be availed during the currency of the contract only and cannot be carried forward to next year, in case of any extension of the contract.

5.3. The balance accumulated leaves, if any, at the year end of the contract / date of termination of the contract will be lapsed.

5.4. "No work no pay" will be applicable during the period of contract, if more than the prescribed leave is taken.

Badam

6. **Tax Deduction at Source**: The income tax or any other tax liable to be deducted as per prevailing rules will be deducted at source before releasing payment and any certificate as applicable will be issued. Any other applicable taxes or contribution payable by the Consultant on payment made under the contract shall be borne by Consultant only.

7. **Authenticity**: If any declaration given or information furnished by the Consultant proves to be false or if he/ she is found to have willfully suppressed any material information, the contract shall be liable to be terminated and TRAI may take such other action as deemed necessary.

8. **Compensation**: In the event of death or grievous injury to the Consultant during the course of her/ his duties, compensation, in any form, shall neither be payable to the Consultant nor to her/ his dependents. It shall be the sole responsibility of the Consultant to take adequate insurance policy to safeguard her/ his interest.

9. **Medical Insurance**: Medical Insurance premium upto Rs 10,000/- per annum shall be reimbursed by TRAI on presentation of valid Medical Insurance Policy. In case they are possessing any old medical policy at the time of joining in TRAI by above mentioned consultants, a pro-rata amount based on remaining period of next annual premium date, with a capping of Rs 10000/-, shall be paid to her/him.

10. **Training**: During the Contract, for enhancement of sectoral expertise related to job assigned in TRAI, Associate Consultants can pursue online certification course, duly recommended by their respective Head of Division and approved by Secretary TRAI. The said training course is to be undertaken beyond office hours in TRAI in a manner that the regular work assigned in TRAI is not adversely affected. TRAI shall reimburse an amount upto Rs 25,000/- per annum on successful completion of said Certification Course(s) on presentation of required Certificates / Documents.

(Durgendra Jadaun)
SRO(HR)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India

भादूविप्रा
TRAI

सत्यमेव जयते

क्रमांक: A-26/(39)/2025-HR (E-17742) **दिनांक: दिसंबर 03, 2025**

रिक्ति सूचना संख्या: C-07/ 2025-26

भादूविप्रा मुख्यालय, दिल्ली में संविदा के आधार पर परामर्शदाता पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा), नई दिल्ली एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम, अर्थात् भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के तहत की गई है। भादूविप्रा की स्थापना दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने और दूरसंचार क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने, दूरसंचार क्षेत्र के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए की गई है। भादूविप्रा को 2004 से प्रसारण और केबल सेवा क्षेत्रों के विनियमन से संबंधित कार्य भी सौंपे गए हैं।

2. भादूविप्रा में परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति हेतु योग्य भारतीय नागरिकों से नीचे दिए गए पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:

(क) परामर्शदाता (क्रत्रिम बुदधिमत्ता)

प्रभाग का नाम	**विवरण**	**विस्तृत विवरण**
ट्राई मुख्यालय का एनएसएल-I प्रभाग **[पोस्ट कोड -01]**	पद का नाम	परामर्शदाता (क्रत्रिम बुदधिमत्ता)
	आवश्यक परामर्शदाताओं की संख्या	01 (एक)
	मासिक पारिश्रमिक	24 लाख रुपये से 30 लाख रुपये प्रति वर्ष तक (अनुभव के आधार पर)
	वह अवधि जिसके लिए परामर्शदाता को नियुक्त किया जाना है	नियुक्ति की प्रारंभिक अवधि एक वर्ष होगी, जिसे परामर्शदाता के निष्पादन और भादूविप्रा की भविष्य की आवश्यकता के आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।

आयु सीमा	इस रिक्ति परिपत्र के जारी होने की तारीख को 45 वर्ष से अधिक नहीं ।
आवश्यक शैक्षिक योग्यता	कंप्यूटर / सूचना प्रौद्योगिकी में बीटेक / बीई / एमसीए / एमएससी या समकक्ष।
वांछनीय शैक्षिक योग्यता	कंप्यूटर/सूचना प्रौद्योगिकी या समकक्ष में एम.टेक । **सर्टिफिकेशन**: एआई/एमएल/डीएल/डेटा साइंस में सर्टिफिकेशन, जैसे कि सर्टिफाईड डेटा साइंटिस्ट या सर्टिफाईड एआई इंजीनियर।
योग्यता के बाद का अनुभव	**आवश्यक** : एआई / एमएल / डीएल (डीप लर्निंग) डोमेन, टेक्नॉलोजी स्ट्रेटजी रोल्स में न्यूनतम तीन (03) वर्षों के अनुभव के साथ दूरसंचार/आईटी क्षेत्र में आठ (8) वर्ष से अधिक का अनुभव । **वांछनीय**: प्रमुख कौशल और दक्षताएं i. एआई/एमएल/डीएल,GenAI, एनालिटिक्स और माडर्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छी पकड़ । ii. Power BI, Tableau, Qlik, Looker, आदि जैसे टूल उपयोग करने का अनुभव। iii. प्रोसेस माईनिंग, वर्कफ़्लो ऑटोमेशन और एंटरप्राईज एप्लीकेशन मौडर्नाईजेशन का ज्ञान। iv. प्रोग्रामिंग कौशल: Python, R, SQL, Java, Julia, SAS जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं में प्रवीणता। v. एआई/एमएल फ्रेमवर्क: TensorFlow, PySpark, Scikit-Learn, Hugging Face, RegTech Tools के साथ एआई/एमएल मॉडल/फ्रेमवर्क अनुभव। vi. विनियामक जानकारी: विनियामक आवश्यकताओं और फ्रेमवर्क जैसे कि EU AI Act, DPDP (Digital Personal Data Protection) Act, IT Act आदि की अच्छी समझ। vii. डोमेन विशेषज्ञता: दूरसंचार और प्रसारण जैसे किसी विशिष्ट उद्योग में डोमेन विशेषज्ञता। viii. अच्छा लेखन और संवाद कौशल का हुनर हो ।
भूमिका एवं जिम्मेदारियाँ	(क) टेलीकॉम स्पेसिफिक रेगुलेटरी अपडेटस की मानीटरिंग और विश्लेषण तथा टेलीकॉम और प्रसारण उद्योग पर एआई के प्रभाव का आकलन। (ख) भारत और अन्य देशों के कानूनी और नीतिगत ढांचे जैसे कि यूरोपीय यूनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट (EU AI Act), आर्गनाईजेशन फॉर इकनोमिक कोआपरेशन एंड

		डेवलपमेंट (OECD) फ्रेमवर्क, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कमीशन (PDPC) दिशानिर्देश, यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी (US NIST) मानक, नीति आयोग पॉलिसी पेपर, MeitY दिशानिर्देश, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की रिपोर्ट (CCI Reports) आदि के साथ काम करना। (ग) एएल/एमएल/डीएल के संबंध में विभिन्न देशों/संगठनों द्वारा की गई या जारी नीतिगत पहलों का अध्ययन। (घ) दूरसंचार क्षेत्र के लिए एआई और रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के उपयोग मामलों, एप्लीकेशन का अध्ययन/अन्वेषण। (ङ) इस विषय और एआई संचालित विनियमों पर नीतिगत दस्तावेज तैयार करना। (च) ट्राई और किसी अन्य संबंधित कार्य में एआई का उपयोग। (छ) एआई और ऑटोमेशन: डेटा एनालिटिक्स, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, NLP, AI-रेडीनेस, इंटेलिजेंट वर्कफ़्लो, GenAI को अपनाने में मदद, इंटरनल प्रोडक्टिविटी के लिए एजेंटिक AI, प्रोसेस ऑटोमेशन में AI का फ़ायदा उठाना, नॉलेज मैनेजमेंट आदि मामलों में एआई/एमएल उपयोग के संबंधित मामलों का निर्माण और कार्यान्वयन। (ज) AI Ops, डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, RegTech फ्रेमवर्क का अंगीकरण और डिसीजन ऑटोमेशन फ्रेमवर्क अपनाने का मूल्यांकन और उसकी तैनाती।

#रिक्तियों की संख्या अस्थायी है। भादूविप्रा निकट भविष्य में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के लिए एक रिजर्व पैनल तैयार करेगा.

(ख) परामर्शदाता (डाटा प्राईवेसी एवं साईबर सीक्योरिटी)

प्रभाग का नाम	विवरण	विस्तृत विवरण
ट्राई मुख्यालय का सूचना प्रौदयोगिकी प्रभाग	पद का नाम	**परामर्शदाता** (डाटा प्राईवेसी एवं साईबर सीक्योरिटी)
	आवश्यक परामर्शदाताओं की संख्या	01 (एक)
	मासिक पारिश्रमिक	24 लाख रुपये से 30 लाख रुपये प्रति वर्ष तक (अनुभव के आधार पर)

[पोस्ट कोड 02]	वह अवधि जिसके लिए परामर्शदाता को नियुक्त किया जाना है	नियुक्ति की प्रारंभिक अवधि एक वर्ष होगी, जिसे परामर्शदाता के निष्पादन और भादूविप्रा की भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।
	आयु सीमा	इस रिक्ति परिपत्र के जारी होने की तारीख को 45 वर्ष से अधिक नहीं ।
	आवश्यक शैक्षिक योग्यता	इलेक्ट्रॉनिक्स / टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर में बीटेक / बीई डिग्री, एमसीए, एमएससी या समकक्ष।
	वांछनीय शैक्षिक योग्यता	इलेक्ट्रॉनिक्स / दूरसंचार, कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी में एमटेक। प्रासंगिक प्रमाणपत्र जैसे- CompTIA Security+, Certified Ethical Hacker (CEH) और CISSP (Certified Information Systems Security Professional) या CISM (Certified Information Security Manager) या CISA (Certified Information Systems Auditor)
	योग्यता के बाद का अनुभव	**अनिवार्य :** आईटी क्षेत्र में न्यूनतम आठ (8) वर्ष से अधिक और सुरक्षा में थ्रेट एनालिसिस, इंसीडेंटस रिस्पोंस और सीक्योरिटी आर्कीटेक्चर पर फोकस के साथ कम से कम पांच (05) वर्ष का अनुभव। **वांछनीय:** i. <u>प्रोग्रामिंग स्किल्स</u> : प्रोग्रामिंग लैग्वेज जैसे कि Python, SQL, Java में प्रवीणता। ii. आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, cloud security, virtualization and security operations की गहन जानकारी। security orchestration, automation, and response (SOAR) tools से परिचित होना चाहिए। iii. Configuring firewall, Intrusion protection Systems, Intrusion Detection System and VPNs में अनुभव होना चाहिए। iv. Code vulnerabilities की पहचान, penetration testing, security assessment, risk analysis, EDR, SIEM Tools ओर crisis management skills, zero trust, data privacy में अनुभव होना चाहिए। v. Digital Personal Data Protection (DPDP) act और General Data Protection Rules के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए।

		vi. साइबर हमलों का विश्लेषण, डेटा पुनर्प्राप्ति, सोर्स का पता लगाना और साइबर हमले की घटनाओं की व्याख्या करने वाली रिपोर्ट देना। vii. रणनीतिक योजनाओं को विकसित करने और क्रॉस-फ़ंक्शनल टीमों का नेतृत्व करने की क्षमता। viii. ISO-2700, ITIL और अन्य गवर्मेंट मोडेल्स की गहन जानकारी। ix. MISP, OpenCTI, और MITRE जैसे CTI frameworks के बारे में जानकारी होनी चाहिए। x. CTI Lifecycle और STIX/TAXI protocols के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
	भूमिका एवं जिम्मेदारियाँ	क. Enterprise-wide information security strategy का विकास एवं कार्यान्वयन। ख. किसी भी सुरक्षा उल्लंघन की स्थिति में साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता, जोखिम प्रबंधन और डिजास्टर रिकवरी के लिए रणनीतिक दिशा प्रदान करना और सीआईएसओ (CISO) की सहायता करना। ग. साईबर सीक्योरिटी पॉलिसीज, मानक और प्रक्रियाएं को तैयार करना और लागू करवाना। घ. विनियामक आवश्यकताओं (जैसे, आईटी अधिनियम) का अनुपालन सुनिश्चित करना। ङ. जोखिम आकलन का नेतृत्व और पहचाने गए जोखिमों का निदान । च. सभी पोर्टलों / वेबसाइटों / एप्लीकेशंस आदि में सुरक्षा खतरों पर दिन-प्रतिदिन की निगरानी और सुरक्षा निगरानी। छ. इंसीडेंटस रिस्पोंस प्लानिंग, निष्पादन और पोस्ट इंसीडेंटस रिव्यू मैनेजमेंट। ज. डायरेक्ट सीक्योरिटी ऑडिटस , भेद्यता (vulnerability) परीक्षण और प्रवेश (penetration) परीक्षण प्रयास। झ. Cybersecurity posture, incidents, emerging threats और इंडस्ट्री ट्रेंड (telecom domain cyber security derivatives सहित) मामलों में प्राधिकरण को नियमित रूप से रिपोर्ट करना। ञ. सीक्योरिटी प्रैक्टिसेज को बेंचमार्क करने के लिए बाहरी एजेंसियों, विनियामकों, उद्योग के साथियों के साथ काम करना। खतरे/हमले के मामलों पर अन्य विभागों (CERT-

		IN, NCIIPC, DoT, etc.) से प्राप्त विभिन्न परामर्शों का विश्लेषण और समाधान/नीति निर्माण। ट. Advanced security tools और Zero Trust security approach जैसी प्रथाओं का मूल्यांकन एवं कार्यान्वयन। ठ. सुरक्षा संरचना को सक्रिय रूप से मजबूत करने के लिए उभरते खतरों और उद्योग के रुझानों के बारे में जानकारी रखना और विभिन्न कार्यक्रमों/बैठकों के लिए सुरक्षा से संबंधित विषयों जैसे टॉकिंग पॉइंट्स, प्रस्तुति आदि से संबंधित सामग्री विकसित करने में प्राधिकरण की सहायता करना। ड. उन्नत खतरों को रोकने के लिए एंड-पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पांस (EDR)/XDR टूल का प्रबंधन । ढ. दस्तावेज़ीकरण, ऑडिट और निरंतर सुधार सहित ISO27001 अनुरूप ISMS का निर्माण और रखरखाव। ण. संगठनात्मक आईटी नीतियों, एसओपी और गवर्नेंस फ्रेमवर्क को बनाए रखना। त. निम्नांकित SOC गतिविधियाँ कार्यान्वित करना : *i. आंतरिक नेटवर्क को घुसपैठ से बचाने पर ध्यान देना। फ़ायरवॉल और वीपीएन कॉन्फ़िगर करना तथा घुसपैठ की पहचान/रोकथाम प्रणाली (आईडीएस/आईपीएस) तैयार करना।* *ii. सीक्योरिटी इंसीडेंटस के मूल कारणों का पता लगाने के लिए सीक्योरिटी असेसमेंट और जोखिम निर्धारण।* *iii. कोड कमजोरियों की पहचान करके सुरक्षित सॉफ़्टवेयर एप्लिकेशन विकसित करने में सहायता। इसमें कोड रिव्यू ,पैनीटरेशन टेस्टिंग और सीक्योर सॉफ़्टवेयर डेवलपमेंट (DevSecOps) शामिल हैं।* *iv. क्लाउड आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राप्त करना (NIC cloud, MEITY eempanelled cloud), cloud configuration, एक्सेस मैनेजमेंट और अनुपालन।* *v. हमलों का विश्लेषण, डेटा पुनर्प्राप्ति और मूल का पता लगाना जिसमें डिजिटल फोरेंसिक, मैलवेयर विश्लेषण और कानूनी साक्ष्य तैयार करना शामिल है ।* *vi. उन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में अनुशंसाएँ करना जोकि सूचना भंडारण और सीक्योरिटी रिकॉर्ड को मजबूत कर सकें।*

		vii. साइबर हमले के लिए उपयोग किए जा रहे नवीनतम वायरस और मैलवेयर के बारे में अपडेट रहना।
		viii. डेटा सुरक्षा के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं के विकास और कार्यान्वयन में सहायता तथा डेटा चोरी के जोखिम को कम करना।
		ix. क्षमता अंतर का आकलन करना और मौजूदा टीम के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण के निर्माण, रखरखाव और वितरण में सहायता करना।
		x. नैदानिक परीक्षणों की खोज को रेखांकित करने वाली रिपोर्ट तैयार करना और जब साइबर हमले घटित हों तो उनकी व्याख्या करना।
		xi. साइबर सुरक्षा क्षेत्र में नवीनतम विकास, घटनाओं, खतरों, उभरते उद्योग के रुझानों आदि पर मंथली इंफोर्मेशन डाइजेस्ट तैयार करना।
		xii. प्रारंभिक खतरे का पता लगाने के लिए सीक्योरिटी इंफोर्मेशन और इवेंट मैनेजमेंट (SIEM) सिस्टम लॉग बनाए रखना और उसकी समीक्षा करना।
		xiii. साईबर थ्रैट इंटेलीजेंस और इंटेलीजेंस शेयरिंग

#रिक्तियों की संख्या अस्थायी है। भादूविप्रा निकट भविष्य में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के लिए एक रिजर्व पैनल तैयार करेगा.

4. परामर्शदाता की सेवाएं, परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए सामान्य नियमों व शर्तों के द्वारा नियंत्रित होंगी और इसे **अनुलग्नक "क"** के रूप में संलग्न किया गया है।

5. भादूविप्रा मुख्यालय के एनएसएल-1 प्रभाग और सूचना प्रौदयोगिकी प्रभाग में परामर्शदाता (**क्रत्रिम बुदधिमत्ता**) और परामर्शदाता (**डाटा प्राईवेसी एंड साईबर सीक्योरिटी**) पद के लिए इच्छुक पात्र उम्मीदवार केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से **URL: https://vacancies.trai.gov.in** पर अपना आवेदन भेज सकते हैं। डाक/ई-मेल तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। **ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 24.12.2025 है।** सभी पात्र उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियां (**जो कि स्पष्ट रुप से पढ़ने योग्य हों**) भी अपलोड करें:

(क) **जन्म तिथि दर्शाने वाला दस्तावेज** [सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या 10वीं कक्षा की मार्क शीट (जन्म तिथि दर्शाती हुई), जन्म प्रमाण पत्र। जिन आवेदकों के सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट में उनकी जन्मतिथि शामिल नहीं है, उनके लिए आयु सत्यापित करने के लिए एक और वैध सरकार द्वारा जारी दस्तावेज अपलोड किया जाना चाहिए।

(ख) **शैक्षिक योग्यता** [10वीं कक्षा से आगे की मार्क शीट...डिग्री प्रमाण पत्र प्रोवीजनल या फाईनल- सभी सैमिटस्टर्स की मार्कशीट के साथ अपलोड किया जाना चाहिए]

(ग) **शिक्षा के बाद का अनुभव/ रोजगार**- आवेदकों को कंपनी के लेटरहेड पर अपने नियोक्ता (पिछले और वर्तमान) द्वारा जारी किए गए उचित अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे, जिसमें नियुक्ति की तारीख रिलीविंग या जारी रहने ऐसे रोजगार के दौरान किए गए कार्यों के विवरण का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो। आवेदन पत्र में दर्शाया गया अनुभव आवश्यक / आवश्यक योग्यता अर्जित करने के बाद की अवधि से मेल खाना चाहिए]

(घ) कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज।

6. अधूरे आवेदनों या ऊपर **पैरा 5 (क से घ)** में उल्लिखित सहायक दस्तावेजों के बिना जमा किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. भादूविप्रा इस विज्ञापन में वर्णित परामर्शदाता (**क्रत्रिम बुदधिमत्ता**) और परामर्शदाता (**डाटा प्राईवेसी एंड साईबर सीक्योरिटी)** के चयन / नियुक्ति की प्रक्रिया को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(डी. एस. जादौन)
वरि. अनु. अधिकारी (मानव संसाधन)
ईमेल: sro-hr@trai.gov.in

<u>सूचनार्थ- आंतरिक परिचालन : -</u>

1. भादूविप्रा अध्यक्ष कार्यालय के ओएसडी
2. भादूविप्रा सदस्य के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव / प्रधान निजी सचिव
3. भादूविप्रा सचिव के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
4. सभी प्रधान सलाहकार / सलाहकार [मुख्यालय], भादूविप्रा ।
5. संयु. सलाहकार (आईटी) से अनुरोध है कि इसे भादूविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड करें।
6. राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल
7. सूचना पट्ट।

विज्ञापन में किसी भी विवाद की स्थिति में, ट्राई की वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञापन का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य माना जाएगा।

अनुलग्नक "क"

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) में अनुबंध के आधार पर परामर्शदाता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और परामर्शदाता (डेटा प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी) की नियुक्ति के लिए नियम और शर्तें

1. अनुबंध की अवधि और उसका विस्तार:

परामर्शदाताओं को प्रारंभिक रूप से एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। परामर्शदाता आवश्यकता और योग्यता के आधार पर ट्राई (TRAI) में ज़्यादा से ज़्यादा चार साल तक के लिए हायर किया जाएगा।

2. संविदात्मक शर्तें और नियम

2.1. कानूनी स्थिति:

इन दिशा-निर्देशों के तहत परामर्शदाता के रूप में नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रयोजन के लिए TRAI का स्टाफ सदस्य या अधिकारी नहीं माना जाएगा और वह इन दिशा-निर्देशों में निहित शर्तों और TRAI और परामर्शदाता के बीच हुए समझौते के अधीन होगा। इस प्रकार, अनुबंध के भीतर या उससे संबंधित कोई भी बात TRAI और परामर्शदाता के बीच नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध स्थापित नहीं करेगी। अनुबंध अवधि के दौरान या उसके बाद, परामर्शदाता TRAI के कर्मचारी होने का दावा नहीं करेंगे। परामर्शदाता TRAI के साथ अनुबंध करते समय इस संबंध में अनुबंध-I के अनुसार एक शपथ पत्र अनिवार्य रूप से देंगे।

2.2. आचरण के मानक:

परामर्शदाता अनुबंध के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के संबंध में TRAI के बाहर किसी भी प्राधिकरण से न तो निर्देश मांगेंगे और न ही स्वीकार करेंगे। परामर्शदाता अपने निष्पादन या अन्यथा अपने अनुबंधित दायित्वों से संबंधित कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे जिससे TRAI के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। परामर्शदाता TRAI के हितों का पूरा ध्यान रखते हुए अपने दायित्वों का पालन करेंगे। परामर्शदाता अनुबंध के तहत दायित्वों के निष्पादन पर प्रभाव डालने वाले सभी कानूनों, अध्यादेशों, नियमों और विनियमों का पालन करेंगे। अनुबंध के तहत दायित्वों के निष्पादन में, परामर्शदाता आचरण के अपेक्षित मानकों का पालन करेंगे। इनका पालन न करना अनुबंध समाप्ति का आधार होगा।

2.3. कर्तव्यों का नियतन (Assignment):

परामर्शदाता को कार्यात्मक इकाइयों द्वारा पहचाने गए विशिष्ट परियोजनाओं के लिए तैनात किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी आवश्यकतानुसार किसी भी अतिरिक्त कर्तव्य को निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसे अतिरिक्त नियतन की स्थिति में कोई अतिरिक्त/अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

2.4. समाप्ति:

2.4.1. TRAI परामर्शदाता को कोई कारण बताए बिना, एक महीने का लिखित नोटिस देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.4.2. हालाँकि, TRAI अनुबंध को किसी भी समय, बिना पूर्व सूचना के और बिना कोई कारण बताए भी समाप्त कर सकता है, यदि उसकी राय में परामर्शदाता की अब आवश्यकता नहीं है या उसने अनुबंध के तहत अपने कर्तव्यों या दायित्वों का संतोषजनक रूप से निर्वहन करने में विफल रहा है या उसने अनुबंध का उल्लंघन किया है। यदि अनुबंध समाप्ति के लिए TRAI द्वारा दिया गया नोटिस आवश्यक नोटिस अवधि से कम है या अनुबंध TRAI द्वारा बिना पूर्व सूचना के समाप्त किया जाता है, तो आवश्यक नोटिस अवधि से कम की अवधि (समानुपातिक आधार पर गणना) या एक महीने के पारिश्रमिक का भुगतान TRAI द्वारा किया जाएगा।

2.4.3. परामर्शदाता भी TRAI को एक महीने का लिखित नोटिस देकर अनुबंध समाप्ति की मांग कर सकते हैं। यदि परामर्शदाता TRAI को एक महीने के लिखित नोटिस से कम अवधि के लिए अनुबंध समाप्ति की मांग करता है, तो उसे आवश्यक नोटिस अवधि से कम की अवधि (समानुपातिक आधार पर गणना) के लिए मासिक पारिश्रमिक का भुगतान करना होगा।

2.5. यौन शोषण और दुर्व्यवहार की मनाही:

अनुबंध के निष्पादन में, परामर्शदाता कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन करेंगे। परामर्शदाता इस बात को स्वीकार करता है और सहमति देता है कि इसके प्रावधानों का कोई भी उल्लंघन अनुबंध की एक आवश्यक शर्त का उल्लंघन होगा और किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध किसी भी

Badam

अन्य कानूनी अधिकार या उपचार के अतिरिक्त, अनुबंध समाप्ति का आधार होगा। यदि आवश्यक हो, तो आगे उचित कानूनी कार्रवाई की भी सिफारिश की जा सकती है।

2.6. चिकित्सा प्रमाणपत्र:

TRAI अनुबंध करते समय परामर्शदाता से एक पंजीकृत चिकित्सक से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता कर सकता है।

2.7. बुनियादी सहायता सुविधा:

TRAI परामर्शदाता को उनके कर्तव्यों के उचित और सुचारू निर्वहन के लिए आवश्यक बुनियादी सहायता सुविधाएं जैसे कार्यालय स्थान, फर्नीचर, स्टेशनरी, कंप्यूटर, लैपटॉप, कैलकुलेटर, इंटरनेट की पहुंच आदि प्रदान कर सकता है। परामर्शदाता को प्रदान की गई ऐसी उपकरण और सुविधाएं अनुबंध की समाप्ति के समय या जब उनकी आवश्यकता नहीं रह जाएगी, सलाहकारों द्वारा वापस कर दी जाएंगी।

2.8. दस्तावेजों और सूचना की गोपनीयता:

परामर्शदाता भारतीय औपचारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के प्रावधानों का पालन करेंगे। वह/वह निर्धारित कर्तव्यों का निर्वहन करने के अलावा किसी भी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए TRAI के नाम, प्रतीक, या आधिकारिक मुहर का उपयोग नहीं करेगा/करेगी। परामर्शदाता TRAI के साथ अनुबंध करते समय गोपनीयता के एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, जैसा कि **अनुबंध-I** में है।

2.9. बौद्धिक संपदा अधिकार:

TRAI द्वारा परामर्शदाता को प्रदान की गई सूचना और दस्तावेजों में निहित सभी बौद्धिक संपदा (जिसमें कॉपीराइट, डिज़ाइन अधिकार, नॉले-हाउ और ट्रेडमार्क शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) TRAI की एकमात्र और अनन्य संपत्ति रहेगी। TRAI उन प्रक्रियाओं, विचारों, तकनीकी/परामर्श पत्रों/रिपोर्टों, दस्तावेजों या किसी अन्य सामग्री के संबंध में सभी बौद्धिक संपदा अधिकारों की भी मालिक होगी, जो परामर्शदाता ने अनुबंध के तहत TRAI के लिए विकसित की हैं, और जो परामर्शदाता को नियत किए गए कर्तव्यों के निष्पादन के परिणामस्वरूप, या उसके दौरान, उत्पादित या तैयार या एकत्रित की जाती हैं।

परामर्शदाता का ऐसी बौद्धिक संपदा पर कोई अधिकार नहीं होगा और वे TRAI की पूर्व स्वीकृति के बिना ऐसी सूचना, दस्तावेजों, या किसी अन्य सामग्री को सार्वजनिक डोमेन में या किसी तीसरे पक्ष को प्रकाशित या उपलब्ध नहीं कराएंगे।

2.10. विवादों का निपटारा:

TRAI और परामर्शदाता अनुबंध से उत्पन्न या उसके उल्लंघन, समाप्ति, या अमान्यता से उत्पन्न किसी भी विवाद, मतभेद या दावे को सौहार्दपूर्वक निपटाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे।

2.11. मध्यस्थता (Arbitration):

अनुबंध से उत्पन्न, या उसके उल्लंघन, समाप्ति, या अमान्यता से संबंधित पक्षों के बीच कोई भी विवाद, मतभेद या दावा, जैसा कि ऊपर प्रदान किया गया है, सौहार्दपूर्वक निपटाए जाने पर, मध्यस्थता के लिए किसी भी पक्ष द्वारा TRAI के अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। TRAI का अध्यक्ष ऐसे विवाद/मतभेद के निपटारे के लिए एक मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है।

2.12. हितों का टकराव (Conflict of interest):

परामर्शदाता से अपेक्षा की जाती है कि वे TRAI/भारत सरकार के सभी लागू नियमों और विनियमों का पालन करेंगे जो प्रवृत्त हैं। उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय अत्यंत ईमानदारी, कार्यालय की गोपनीयता और निष्ठा का प्रदर्शन करेंगे। यदि परामर्शदाता की सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई जाती हैं या TRAI के हितों के साथ संघर्ष में पाई जाती हैं, तो उसकी सेवाएं बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं।

2.13. अवशिष्ट मामले (Residuary matters):

इन दिशा-निर्देशों द्वारा या विशेष रूप से शामिल नहीं किए गए मामलों के संबंध में, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा जारी परामर्श और अन्य सेवाओं की खरीद के लिए मैनुअल 2017 तथा सामान्य वित्त नियम (GFR) 2017 में दी गई शर्तें और नियम लागू होंगे।

3. पारिश्रमिक का भुगतान:

3.1. परामर्शदाता को हर महीने मेहनताना (सब मिलाकर) दिया जाएगा और कोई दूसरा अलाउंस, जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस, महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता, नहीं दिया जाएगा।

3.2. संबंधित विभाग द्वारा सत्यापित उपस्थिति के आधार पर, लागू करों को काटने के बाद, एकीकृत पारिश्रमिक का भुगतान महीना पूरा होने के एक सप्ताह के भीतर TRAI द्वारा जारी किया जाएगा। परामर्शदाता को कार्यालय में आने पर और कार्यालय छोड़ने के समय अनिवार्य रूप से उपस्थिति अंकित करनी होगी।

4. <u>यात्रा भत्ता</u>: सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अधीन, परामर्शदाता को आधिकारिक प्रयोजनों के लिए घरेलू दौरे करने की आवश्यकता हो सकती है। उनके यात्रा भत्ता, TRAI में सीनियर रिसर्च ऑफिसर (SRO) को मिलने वाले हक की ऊपरी लिमिट के तहत होगा।

5. <u>अवकाश</u>:

5.1. परामर्शदाता अनुबंध के तहत सेवा के प्रत्येक पूर्ण महीने के लिए 1.5 दिन का वेतन सहित अवकाश (paid leave) के पात्र होंगे, इसके अलावा राजपत्रित अवकाशों के अलावा।

5.2. अनुबंध की अवधि के दौरान जमा किए गए वेतन सहित अवकाश केवल अनुबंध की मौजूदा अवधि के दौरान ही लिए जा सकते हैं और अनुबंध के किसी भी विस्तार की स्थिति में इसे अगले वर्ष में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

5.3. अनुबंध के वर्ष के अंत में / अनुबंध की समाप्ति की तिथि पर शेष जमा अवकाश, यदि कोई हो, समाप्त हो जाएंगे।

5.4. अनुबंध की अवधि के दौरान, यदि निर्धारित अवकाश से अधिक लिया जाता है तो "कोई कार्य नहीं कोई वेतन नहीं" ("No work no pay") लागू होगा।

6. <u>स्रोत पर कर कटौती</u> (TDS): प्रचलित नियमों के अनुसार कटौती योग्य आयकर या कोई अन्य कर भुगतान जारी करने से पहले स्रोत पर काट लिया जाएगा और लागू होने वाला कोई भी प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। अनुबंध के तहत किए गए भुगतान पर परामर्शदाता द्वारा देय कोई अन्य लागू कर या योगदान केवल परामर्शदाता द्वारा वहन किया जाएगा।

7. <u>प्रामाणिकता</u>: यदि परामर्शदाता द्वारा दिया गया कोई घोषणा या प्रदान की गई कोई जानकारी गलत साबित होती है या यह पाया जाता है कि उसने जानबूझकर कोई भौतिक जानकारी दबाई है, तो अनुबंध समाप्त किया जा सकता है और TRAI आवश्यक समझे जाने वाले अन्य कार्रवाई कर सकता है।

8. <u>मुआवजा</u>: परामर्शदाता के कर्तव्यों के दौरान मृत्यु या गंभीर चोट की स्थिति में, किसी भी रूप में मुआवजा, न तो सलाहकारों को और न ही उनके आश्रितों को देय होगा। अपने हितों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त बीमा पॉलिसी लेना परामर्शदाता की एकमात्र जिम्मेदारी होगी।

9. <u>मेडिकल इंश्योरेंस</u>: वैलिड मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी दिखाने पर TRAI हर साल Rs 10,000/- तक का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम वापस करेगा। अगर ऊपर बताए गए परामर्शदाता के पास TRAI में जॉइन करते समय कोई पुरानी मेडिकल पॉलिसी है, तो अगले सालाना प्रीमियम की तारीख के बचे हुए समय के आधार पर प्रो-राटा अमाउंट, जिसकी लिमिट Rs 10000/- है, उन्हें दिया जाएगा।

10. <u>ट्रेनिंग</u>: कॉन्ट्रैक्ट के दौरान, TRAI में दिए गए काम से जुड़ी सेक्टर की एक्सपर्टीज़ बढ़ाने के लिए, परामर्शदाता ऑनलाइन सर्टिफ़िकेशन कोर्स कर सकते हैं, जिसे उनके संबंधित डिवीज़न हेड द्वारा रिकमेंड किया गया हो और TRAI सेक्रेटरी द्वारा अप्रूव किया गया हो। यह ट्रेनिंग कोर्स TRAI में ऑफ़िस के समय के बाद इस तरह से किया जाना है कि TRAI में दिए गए रेगुलर काम पर बुरा असर न पड़े। ज़रूरी सर्टिफ़िकेट/डॉक्यूमेंट्स दिखाने पर TRAI सर्टिफ़िकेशन कोर्स(स) को सफलतापूर्वक पूरा करने पर हर साल Rs 25,000/- तक का अमाउंट वापस करेगा।

(दुर्गेंद्र जादौन)

एस.आर.ओ.(मानव संसाधन)